

12/6
2019

वकील प्रार्थी उपस्थित। बट्टस वकील प्रार्थी
सुनी गयी। एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर
450, 451 तन ग्राम ढाणी अहिरान को
जैकर पक्षकारान के मध्य विभाजन का
वाद विचारार्थीन है। पक्षकारान के मध्य
जब तक विधिवत विभाजन नहीं होता
है तब तक दोनों ही पक्षों को विवादित
भूमि खसरा नम्बर 450, 451 तन ग्राम
ढाणी अहिरान तहसील नीमकाथाना के
मौजा व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये
रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित
समझते हैं।

अतः उभय पक्ष विवादित भूमि के
मौजा व रिकार्ड की तार्दोशने वाद
यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली
के सब शुमार होकर नम्बर से कम
होकर मूल वाद के खतम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना